रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 19, 1970/माघ 30, 1891

No. 54] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 1970/MAGHA 30, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture—I.C.A.R.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February 1970

S.O. 712.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Agricultural Produce Cess Act, 1940 (27 of 1940), the Central Government, after consultation with the Indian Council of Agricultural Research, hereby directs that the Wheat flour, one of the articles specified in the Schedule to the said Act, shall cease to be subject to the duty imposed by section 3 of the said Act for the period from the 16th February, 1970 to the 31st March, 1970.

[No. 23-1/70-Accounts I.]

B. R. PATEL, Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1970

का० आ० 712.—कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 (1940 का 27) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से परामर्श

करने के पश्चात्, एतद्द्वारा निदेश देती है कि मैदा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं में से एक है, 16 फरवरी, 1970 से 31 मार्च, 1970 तक की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा अधिरोपित शुल्क के अध्यधीन नहीं रहेगा ।

[सं० 23-1/70-एकाउन्ट्स-1]

भ० रा० पटेल, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970